



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300225

DISTRICT NAME :टिहरी गढ़वाल SRO :जाखणीघाट

19-Mar-2024

11:06:19AM

UKPDE2024090300225 From 16 Feb 2023

Appointment Date: 19 Mar 2024

Appointment Time:01:30 p.m to 02:30 p.m

Appointment TokenNo:3

Deed/Article Type

Lease

Sub-Deed/Sub-Article

Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index

बान्दी -B.4. जाखणीघाट-गराकोट मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList

बान्दी -B.4. जाखणीघाट-गराकोट मोटर मार्ग

Khewal

Khatoni

00030 00023 00001

Khasra

:393 394 406 407 369 368 395

House/Flat No:

Area

:2,906.0000

बर्ग मीटर

Latitude

Longitude

0.0000000000

Land Value

:0.00

Construction Value :0.00

Transaction Value :0.00

Market Value :0.00

Advance

:0.00

Lease Period :27.00

Avg. Rent

:5.550.72

Stamp Duty :8,000.00

Regn Fees :4,000.00

Pasting Fees

:100

Page

:28

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	व्यवसायिक निर्माण का विवरण			
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	क्रास बर्थ	रज
क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	निबंधक शुल्क का विवरण	
1	Cash	4,000.00			
क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टॉप बिलेटा नईदी
1	e-Stamp	8,000.00	-	19-Mar-2024	15

सुरिता

Calder

लखार सिंह

3

Appointment Date: 19 Mar 2024

Appointment Time: 01:30 p.m to 02:30 p.m

Appointment Token No: 3

पञ्चकार का प्रकार	पञ्चकार का विवरण	हस्ताक्षर	पदकारों का विवरण	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विधवा / प्रथम पक्ष	श्री बीरबल सिंह पुत्र श्री गङ्गमी चन्द निवासी ग्राम-खान्वा, पट्टी-खाम, तहसील-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल	हस्ताक्षर	Self employed		9627522490	ADHAAR : 588359915105
विधवा / प्रथम पक्ष	श्री प्यार सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह निवासी ग्राम-खान्वा, पट्टी-खाम, तहसील-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल	हस्ताक्षर	Self employed		6399529239	ADHAAR : 663822173885
विधवा / प्रथम पक्ष	श्री सुवाल सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी ग्राम-खान्वा, पट्टी-खाम, तहसील-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल	हस्ताक्षर	Self employed		9719123545	ADHAAR : 493532279535
बेटा / द्वितीय पक्ष	श्रीमती मरिता पत्नी श्री कमलजीत तोषन निवासी 23, प्रवर्गी, पोस्ट-मयलौर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उन्नाव 247456	हस्ताक्षर	House wife		9837415413	ADHAAR : 503722917709
पत्नी	श्री विरम सिंह पुत्र श्री शत्रु सिंह निवासी ग्राम-खान्वा, पट्टी-खाम, तहसील-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल	हस्ताक्षर	Self employed		9897501756	ADHAAR : 460529151389
पत्नी	श्री विकास शर्मा पुत्र श्री माधवानन्द निवासी ग्राम-खान्वा, पट्टी-खाम, तहसील-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल	हस्ताक्षर	Self employed		9084424742	ADHAAR : 552609349306

Deed Writer /Advocate Name : D.Dumoga Adv.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आधार
Aadhaar

बीरबल सिंह
Beerbal Singh
जन्म तिथि/DOB: 01/08/1963
पुरुष/ MALE

5883 5991 5105
VID : 9171 4170 8006 3659

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विश्वविद्यालय प्राधिकरण
University Grants Commission Authority of India

पता:
भोला सिंह, खंडी मय मरोडा, खंडी माया काफाली,
तेहरी गढ़वाल,
उत्तराखंड - 249123

Address:
C/O: Bhola Singh, khandi may maroda,
Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123.

5883 5991 5105
VID : 9171 4170 8006 3659

1947 | help@ugc.gov.in | www.ugc.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आधार
Aadhaar

प्यार सिंह
PYAR SINGH
जन्म तिथि/DOB: 23/05/1984
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, मतभेदक या जनसंख्या नहीं।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या स्मार्टफोन कोड/
ऑफलाइन स्कैनर/QR कोड के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship
or date of birth. It should be used with verification (online
authentication, or scanning of QR code / offline XML).

6638 2217 3885

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विश्वविद्यालय प्राधिकरण
University Grants Commission Authority of India

पता:
जखनधर, खंडी माया काफाली, जखनधर, तेहरी
गढ़वाल,
उत्तराखंड - 249123

Address:
JAKHNIDHAR, Khandi Maya Kafali, PO:
Jakhnidhar, DIST: Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123.

6638 2217 3885
VID : 9120 7718 7770 4867

1947 | help@ugc.gov.in | www.ugc.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आधार
Aadhaar

गुलब सिंह
GULAB SINGH
जन्म तिथि/DOB: 19/12/1969
पुरुष/ MALE

4935 3227 9535
VID : 9146 8590 8504 8699

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विश्वविद्यालय प्राधिकरण
University Grants Commission Authority of India

पता:
चन्दन सिंह, खंडी मय मरोडा, खंडी माया काफाली,
तेहरी गढ़वाल,
उत्तराखंड - 249123

Address:
C/O: Chandan Singh, khandi may maroda,
Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

4935 3227 9535
VID : 9146 8590 8504 8699

1947 | help@ugc.gov.in | www.ugc.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आधार
Aadhaar

सुरिता
Saritha
जन्म तिथि/DOB: 02/05/1973
महिला / Female

5037 2291 7709

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विश्वविद्यालय प्राधिकरण
University Grants Commission Authority of India

पता:
अर्पिताजी: कानाजेश तोमर, 23,
जहाबिन, पोस्ट: मंगलूर, जहाबिन,
हरिद्वार, मंगलूर तालुका, उत्तराखंड,
247856

Address:
W/O. Kanajeet Tomar, 23,
Jhabiran, Post manglaur,
Jhabiran, Haridwar, Manglaur
Town, Uttarakhand, 247856

5037 2291 7709

1947 | help@ugc.gov.in | www.ugc.gov.in



कार्यालय: उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल।

फोन नं० - 01378-227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पत्रांक संख्या 714 / उरेडा / मु.म. सौर स्थापना / 2023-24 दिनांक 14 मार्च, 2024

सेवा में परियोजना आवंटन पत्र

श्रीमती सरिता
23 झकीरन पो0300 मंगलौर
हरिद्वार

विषय - "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि०वा० क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,
उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तों के अनुसार परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तों के आधार पर आवंटित किया जाता है।

क्रम सं०	मद	विवरण
01	पंजीकरण सख्या-	2639
02	संयंत्र की क्षमता	200 कि०वा०
02	निर्धारित विद्युत विक्रय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में ₹० 4.64 प्रति यूनिट)
03	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमत्य नहीं है)	काण्डी, विकास खण्ड-जाखणीघार, टिहरी गढ़वाल।
04	संयंत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अंतिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05	संयंत्र से उत्पादित विद्युत के कय की अवधि	संयंत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षों तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/1-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/1-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 3851-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या- 1058/1-1/2023-03/02/2020 F-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटनी मंतीमंति मिश्र है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटनी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि०वा० हेतु ₹० 25,000/-, 100 कि०वा० हेतु ₹० 50,000/- एवं 200 कि०वा० हेतु ₹० 1,00,000/-) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप में जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमीशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।

सरिता

उपस्थित

उपस्थित

03. ऊपरी इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय में सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) हस्ताक्षरित करे।
04. पावर परचेज एग्रीमेंट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूर्योदय फर्म को जारी कार्यदेश/ कार्यदेश से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये।
05. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्युलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होंगे।
06. मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्त/मानक निर्धारित है, जो कि निम्नवत है:-

- (a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
- (b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
- (c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
- (d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated within Three months from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

07. आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएनओआरईओ) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।
08. सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय सू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।
09. संयंत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयंत्र का बीमा अपने व्यय पर स्वयं कराया जाना होगा।
10. आवंटी द्वारा प्रमाणी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।
11. इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयंत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जना सिक्यूरिटी (CPG) जमा कर ली जायेगी।
12. परियोजना की कमीशनिंग (सीओडी) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नहीं होगा।

सरिता

[Handwritten signatures and initials]

13 स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवटी की सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने में सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्तर पर आवटी एवं फन के गव्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबंध/करार, कार्यदेश, भुगतान, वाद-विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।

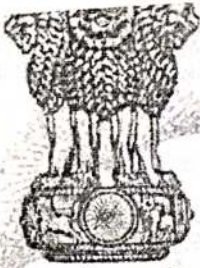
14 स्पष्ट करना है कि आवटित सोलर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुगव्य प्रोत्साहन एवं लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त <https://investuttarakhand.uk.gov.in> पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में MSME Policy-2023 में निहित प्रोत्साहन एवं लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन कराते हुये " मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट संयंत्र स्थापित कराने का कष्ट करे।

सरिता

उत्तराखण्ड

परियोजना अधिकारी
उरेडा-टिहरी



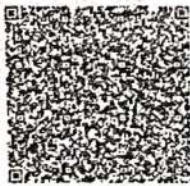
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK12107215035929W
 Certificate Issued Date : 19-Mar-2024 11:02 AM
 Account Reference : NONACC (SV) / uk1229604 / TEHRI / UK-TG
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122960430946186639276W
 Purchased by : SMT SARITA
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : VILL-KHANDI PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : BEERBAL SINGH PYAR SINGH GULAB SINGH
 Second Party : SMT SARITA
 Stamp Duty Paid By : SMT SARITA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 8,000
 (Eight Thousand only)



₹8,000

Please write or type below this line



दुर्गा प्रसाद जनियाल
 स्टांप विक्रेता
 कोर्ट, कल्याणपुंड, नई दिल्ली

सरिता

RD 0014083803

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shreegump.com or using e-Stamp Mobile App or Black Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and its availability on the website or mobile app renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सरिता

पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) मार्च 2023 माह के 19 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

बीरबल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द (Adhar no. 588359915105) (Mob.9627522490),
प्यार सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह (Adhar no. 663822173885) (Mob-6399529239),
गुलाब सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह (Adhar no.493532279535) (Mob.9719123545)

सभी निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

एवं

श्रीमती सरिता पत्नी श्री कमलजीत तोमर, निवासी-23, झबीरन, पो0-मंगलोर, हरिद्वार उत्तराखण्ड 247456 (Adhar No-503722917709) (Mob-9837415413)-जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

सरिता


पट्टा विलेख


1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 के खतौनी खाता संख्या 00030 फसली वर्ष 1428-1433 में दर्ज खेत संख्या 393 रक्वा 0.035 हे०, खेत सं०-394 रक्वा 0.041 हे०, खेत सं०-406 रक्वा 0.025 हे०, खेत सं०-407 रक्वा 0.019 हे० कुल खेत 4 कुल रक्वा 0.120 हे० याने 1200 वर्ग मीटर भूमि स्वामी बीरबल सिंह खाता सं०-00023 में दर्ज खेत सं०-369 रक्वा 0.078 हे० व खेत सं०-368 रक्वा 0.0496 हे० कुल खेत 2 कुल रक्वा 0.1276 हे० याने 1276 वर्ग मीटर भूमि स्वामी प्यार सिंह खतौनी खाता सं०-00001 में दर्ज खेत सं०-395 रक्वा 0.043 हे० याने 430 वर्ग मीटर भूमि स्वामी गुलाब सिंह तीनों खातों का कुल रक्वा 0.2906 हे० याने 2906 वर्ग मीटर पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तों व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्गत परियोजना आवंटन पत्र सं०-714/उरेडा मु०मं० सौर स्व०यो/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के क्रम में 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है।
2. यह कि पट्टा दिनांक 19.03.2024 से प्रारम्भ होकर 18.03.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु० 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात् अर्थात् 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।

सरिता

पट्टा दाता

3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रु0 प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 6,10,260 रु0, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 6,71,286 रु0 तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 5,16,890.22 रु0 याने कुल 27 वर्ष का किराया मु0 17,98,436.22 रु0 तथा औसत वार्षिक किराया 66608.74 रु0 होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 5550.72 रु0 होता है तथा मार्च 2023 का किराया अदा किया जा चुका है। एवं प्रत्येक अप्रैल माह में किराया अदा करना होगा।
4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय-समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा-150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

अरिता

अरिता

अरिता

9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु0 66,608.74 रु0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 4,00,000 रु0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 8000 रु0 अदा किया गया है।
10. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्यूरिटी/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित हैं, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्यूरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।
11. यह कि पट्टादाता के द्वारा श्रीमती सरिता, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रके विरुद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumbrance) पट्टादाता के द्वारा नहीं लिया जायेगा।

सरिता

पट्टादाता

12. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती सरिता पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा श्रीमती सरिता को 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं श्रीमती सरिता की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।
13. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती सरिता, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 19.03.2024 से प्रारम्भ होकर 18.03.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैध होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।
14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा श्रीमती सरिता, पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।
15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।
16. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती सरिता, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई हैं:—
पूर्व:— विकास स्वरूप आदि की भूमि।
पश्चिम:— जगदम्बा प्रसाद की भूमि।
उत्तर:— रास्ता
दक्षिण:— सुनील भारती राम की भूमि।

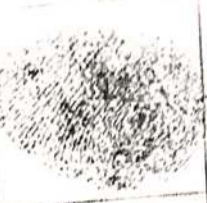
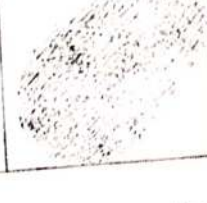
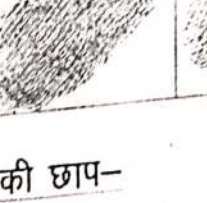
सरिता



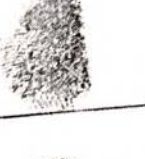
पट्टादाता



प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (वीरवल सिंह) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (प्यार सिंह) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (गुलाब सिंह) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

शरिता

प्यार सिंह

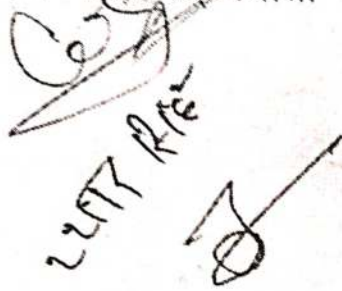
द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप-

दाये हाथ की अंगुलियों के निशान					
बाये हाथ हाथ की अंगुलियों					

अतः आज दिनांक 19.03.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।

ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता

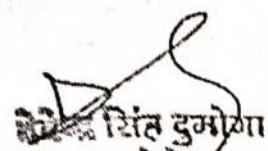
रचयिता
ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार


देवेन्द्र दुमोणा

रचयिता

देवेन्द्र दुमोणा

एडवोकेट


विक्रम सिंह दुमोणा

एडवोकेट

चेम्बर नं0-05, मो. 9011111111

कोर्ट कायाउफ़ नई दिल्ली

रजि-UK-2234/04-11P-11/22

विक्रम सिंह

गवाह

1. बिक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
आधार नं0-460529151389

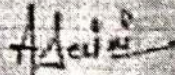
Mob.9897501756

2. विकास स्वरूप पुत्र श्री माधवानन्द, निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
आधार नं0- 552609349306

Mob. 9084424742

वही संख्या 1 जिल्द 56 के पृष्ठ 353 से 380 पर क्रमांक 182 पर आज दिनांक

19 Mar 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीघाट
19 Mar 2024

